

परिशिष्ट - xiv 191

वन विभाग

विलिप्त

10 फरवरी 1973

संख्या 1115/14-331-50 उत्तर प्रदेश के राज्जपाल कोष में  
 प्रा है कि इण्डियन कोरेल्ट ऐक्ट 1927 अर्थात् सं 10, 1927 की धारा-29 की  
 उपधारा - 131 के अधीन अधिष्ठित जंगल तथा अधिष्ठित करने में इतना उचित-या  
 होगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को बाधता हो सकता है :  
 अतः उपरोक्त उपधारा के प्रतिबन्धन द्वारा जंगल को 1927  
 की धारा-80-ए के तहत विलिप्त धारा की उपधारा 1115/14-331-50-ए  
 अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्जपाल कोष में अधिष्ठित करते हैं।  
 कि इस प्रकार जंगल तथा अधिष्ठित करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय - 1 के अधिनियम  
 संख्या 29/1927 में उल्लिखित भूमि पर लागू होगी।

अतः

जिला	नाम, स्थान	दूरी, सीमा, जंगल क्षेत्रों में	विस्तार
1- मेरठ	x	x	
2- मुजफ्फरनगर	x		
x	x	x	
21- पीलीभीत	1- खेनी-जीजी रोड न्योरिया रोड	39 मील 8 कचरे 10 फीट तक	
	2- पीलीभीत-जड़ानावाट	2 मील से 6 मील 2 फीट तक रोड	
	3- बीकनपुर-विल्लुड रोड	कुल से 10 मील 3 फीट 330 फीट	
	4- पीलीभीत-गजनीला	कुल से 2 फीट 340 फीट तक	
	5- पीलीभीत-बीकनपुर रोड	12 फीट 3 फीट तक	
	6- जटीमा-इनकट रोड	6 मील 4 फीट तक	

*Sanjeet*  
 प्रभागीय निदेशक  
 सा0वा0प्रभाग, पीलीभीत

शील कृष्ण धवन / Sheel Krishan Dhawan  
 वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स) / Sr. Manager (Retail Sales)  
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (एम. डी.)  
 Indian Oil Corporation Limited (M.D.)  
 35-ए, कमला नेहरू मार्ग / 35-A, Kamla Nehru Marg  
 बरेली-243001 (उ.प्र.) / Bareilly-243001 (U.P.)